भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, घाटशिला।

क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई

24.9.19

विविध वाद सं0– 06 (B.C.) / 2019–20 / CNT–46

कानाई लाल दास, पिता–स्व0 गोर्वधन दास ....आवेदक

———बनाम———

मिनोती महतो, पति–श्री तपन कुमार महतो .... क्रेता

आदेश

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46 के अन्तर्गत आवेदक (विक्रेता) कानाई लाल दास, पिता–स्व0 गोर्वधन दास, ग्राम–कोकपाड़ा नरसिंहगढ़, थाना–धालभूमगढ़, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, जाति–''तांती'' (पिछड़ा वर्ग) द्वारा निम्नलिखित विवरण की भूमि को क्रेता मिनोती महतो, पति–श्री तपन कुमार महतो, ग्राम–सिद्धशोल, थाना–धालभूमगढ़, जिला–पूर्वी सिहभूम, जमशेदपुर जाति–''कुर्मी'' (पिछड़ा वर्ग) को बिक्री हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन दिया गया हैः–

अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
धालभूमगढ़	कोकपाड़ा नरसिंहगढ़	173	16	696	0.06 ए0

संबंधित अंचल अधिकारी से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई। सर्व साधारण सूचना दिनांकः–04 / 06 / 2019 के द्वारा आपत्ति की मांग की गई। इस अनुमति आवेदन के विरूद्व किसी को कोई आपत्ति हो तो वे दिनांक 19 / 06 / 2019 तक आपत्ति दायर कर सकते हैं।

अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ के पत्रांक–470, दिनांकः–26 / 07 / 2019 द्वारा जांच प्रतिवेदन एवं नोटिस का तामिला प्राप्त हैं। उक्त वर्णित भूमि का अन्तरण पर किसी के द्वारा अपत्ति नही दी गई हैं। जांच प्रतिवेदन एवं प्राप्त दस्तावेज के अनुसार वर्णित भूमि बिक्री केवाला संख्या–2837, दिनांक–19 / 12 / 2001 के माध्यम से आवेदक का खरीदा हुआ भूमि है जिसका नामान्तरण संख्या–39 / 2015–16 है तथा पंजी–II में दर्ज है। आवेदित भूमि हाल सर्वे 1964 के खतियान में पूर्व रैयत अलख नाथ मुखर्जी, पिता–अभिलाख मुखर्जी के नाम पर दर्ज है। आवेदक उपस्थित होकर बताया कि भूमि पर किसी भी प्रकार का न्यायालय में वाद नहीं चल रहा हैं। आवेदित भूमि आवेदक के स्वयं का नाम से पंजी–2 में दर्ज है तथा लगान वर्ष 2019–20 तक देय है। आवेदित भूमि बिक्री के बाद उनके पास लगभग 5 बीघा से अधिक भूमि अवशेष बचता है। इस संबंध में आवेदक द्वारा शपथ पत्र संख्या–53 दिनांक–23 / 09 / 2019 दाखिल किया गया है।

आवेदित भूमि बेचने के पश्चात आवेदक का जीवन यापन के लिए पर्याप्त भूमि अवशेष बचता हैं। आवेदक (विक्रेता) एवं क्रेता दोनो एक ही जिला क्षेत्र के निवासी हैं तथा पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं। इसके संबंध में बिक्रेता की ओर से

24/09/19

अनुमण्डल पदाधिकारी का कार्यालय, घाटशिला द्वारा ऑन लाईन निर्गत आवासीय प्रमाण–पत्र संख्या–JHRC/2019/402082, दिनांक–08/07/2019 तथा अंचल अधिकारी का कार्यालय, धालभूमगढ़ द्वारा ऑन लाईन निर्गत जाति प्रमाण–पत्र संख्या–JHCC/2019/455555, दिनांक–28/06/2019 तथा क्रेता की ओर से अनुमण्डल पदाधिकारी, का कार्यालय, घाटशिला द्वारा निर्गत ऑन लाईन आवासीय प्रमाण–पत्र संख्या–JHRC/2019/406540, दिनांक–27/06/2019, तथा अंचल अधिकारी का कार्यालय, धालभूमगढ़ द्वारा ऑन लाईन निर्गत जाति प्रमाण–पत्र संख्या–JHCC/2019/524059, दिनांक–15/06/2019 तथा आधार कार्ड, लगान रसीद आदि की छायाप्रति संलग्न किया गया है।

आवेदक 0.06 एकड़ भूमि को ऋण की वसूली अदायगी की प्रतिपूर्ति एवं अन्य घरेलु खर्च हेतु आवेदित भूमि कुल–18,00,000.00/–(अट्ठारह लाख) रूपये में बेचना चाहते हैं।

अतः प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी धालभूमगढ़ से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46 के अन्तर्गत आवेदित भूमि मौजा–कोकपाड़ा नरसिंहगढ़, थाना नं0–173, खाता नं0–16, प्लॉट नं0–696 रकवा–0.06 एकड़ भूमि की अन्तरण हेतु आवेदक (बिक्रेता) को इस शर्त के साथ अनुमति दिया जाता हैं कि क्रेता–बिक्रेता बिक्री की जाने वाली भूमि के हक/दखल/ कब्जा/कोई विवाद के संबंध में उभय पक्ष स्वंय जिम्मेवार होगें।

लेखापित एवं संशोधित

c.c. of final order is issued, 15/10/19

अधिनियम के अन्तर्गत उपायुक्त –सह– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, घाटशिला।	अधिनियम के अन्तर्गत उपायुक्त –सह– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता , घाटशिला।